(नियम 26) [illegible]

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 221 / 2019 जीसीएमएस नम्बर :– 2019 / 01040

1. किस्तुरी देवी पत्नी हीरालाल उम्र साल जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

..................वादीया

बनाम

1. अतर सिंह पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. कश्मीरी पुत्री हीरालाल पत्नी हीरालाल जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनू (राज0)
3. विक्रम माता सुमित्रा
4. रवि माता सुमित्रा नवीरा हीरालाल जाति जाट निवासी काकोडा तहसील रिजगढ जिला झुंझुनू (राज०)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज०)

..................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत– घोष्णामक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:– दिनांक:– 17/4/2025

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम भालोठ के गत खाता स0 36 के ख0 न0 530 रकबा 1.00 है0 भूमि के खातेदार किस्तुरी पत्नी हीरालाल हिस्सा 1/4 भाग, राजबाला पत्नी महावीर हिस्सा 1/4 भाग, राजबाला पत्नी महावीर [illegible] न पुत्र दिलखुश ब0हि0ब0 1/4 भाग, चन्द्रभान पुत्र दिलखुश हिस्सा 1/4 [illegible] सा0 देह0 खातेदार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2070 से 20[illegible] खातेदार अपने हिस्से अनुसार अपनी अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:37:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि वादीया की खरीद सुद्धा भूमि है। तथा वादीया अपनी भूमि के खरीद के समय से ही अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है।

3. यह कि गत सप्ताह वादीया पटवार हल्का से अपने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की नकल लेने गई तब वादीया को जानकारी हुई कि राजस्व कर्मचारियों ने वादीया की भूमि सहवन से या भूलवंश गाँव के अन्य के नाम दर्ज कर दिया है वादीया की भूमि जो खरीद सुद्धा भूमि है गाँव की एक अन्य महिला खातेदार जिसका भी किस्तुरी पत्नी हीरालाल ही था जो फौत हो चुकी है जिसका विरास्तन नामान्तरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने वादीया की खरीद सुद्धा खातेदारी भूमि भूमि ख0 न0 530 का विरासतन नामान्तरण दर्ज करते हुए वादीया की भूमि को प्रति0 स0 1 ल0 4 के नाम दर्ज कर दी जबकि वादीया जीवित है पटवार हल्का ने ना तो गाँव में पुछताछ की ना ही ग्राम पंचायत में इसकी जानकारी की वादीया अपनी खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरुसत करवाने की अधिकारीणी है ऐसी स्थिती में वादीया को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि दावे के लिए आधार विवाद गत सप्ताह पटवार हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकल लेने वादीया को अपने गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने से पैदा हुआ है जो सावधि वाद पत्र प्रस्तुत है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम भालोठ के गत खाता स0 36 के ख0 न0 530 रकबा 1.00 है0 में प्रति0 स0 1 ल0 4 का नाम हजफ करते हुए वादीया के नाम ख0 न0 530 रकबा 1.00 है0 में 1/3 हिस्सा घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से श्री मनोज कुमार एड0 द्वारा वकालतनामा/इकबालिया जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री अनुप सिंह एडवोकेट द्वारा वकालतनामा/इकबालिया जवाब पेश किया गया। शेष की बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 03.03.2025 को लाई गई। बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय [illegible] वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर [illegible] लब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम भालोठ स्थित भूमि हाल खाता [illegible] खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:37:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादीगण द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2070–2073, जमाबन्दी सम्वत 2082–2085, जमाबन्दी सम्वत 2086–2089, जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, विक्रय पत्र की सत्य प्रतिलिपि, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

—::आदेश::—

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मालोट के गत खाता संख्या 36 के ख0 न0 530 रकबा 1.00 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नाम हजफ करते हुए वादीया के नाम ख0 न0 530 रकबा 1.00 हैक्टर में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 17/4/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकिंत सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:37:30 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–
सुमन देवी II, आर.ए.एस

राजस्व वाद सं.– 221 / 2019

आरसीएमएस नम्बर – 2019 / 01040

किस्तुरी देवी बनाम अंतरसिंह आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकेट** की व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भालोठ के गत खाता संख्या 36 के ख0 न0 530 रकबा 1.00 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नाम हजफ करते हुए वादीया के नाम ख0 न0 530 रकबा 1.00 हैक्टर में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। " खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:37:30 IST
Reason: SelfAttested